मध्यप्रदेश शासन

लोक निर्माण विभाग,

क्रमांक/ 2154 /15/17/ऐो भोपाल, दिनांक 23/04/2015

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, भोपाल ।

विषय :– मार्गों के दोनो ओर वृक्षारोपण के संबंध में।

****

मार्गों के दोनो किनारों पर वृक्षारोपण मुख्यतः पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक सौदर्य में वृद्धि, वायु तथा ध्वनी प्रदुषण को कम करने, सड़कों पर छांव, मिट्टी का क्षरण रोकने; दूसरी ओर से आने वाले वाहनों की लाईट के ग्लेयर को कम करने, आर.ओ.डब्लयू. को चिन्हित करने तथा रात्रि के समय शार्प हॉरिजोन्टल कर्व को हाईलाईट करने इत्यादि के उद्देश्य से किया जाना आवश्यक है।

यह पाया गया है कि वृक्षारोपण का कार्य कई स्थानों पर बिना किसी योजना के बेतरतीब ढंग से किया गया है, जोकि उचित नही है तथा ऐसी कार्यवाही से सड़क पर दुर्घटनाओं की संभावनाओं से इंकार नही किया जा सकता है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि वृक्षारोपण का कार्य सुनियोजित तरीके से किया जाये।

जब किसी अन्य विभाग/संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के मार्गों की सीमा पर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित हो तो उनके द्वारा संबंधित कार्यपालन यंत्री से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

वृक्षारोपण का कार्य आई.आर.सी. द्वारा जारी की गई **Guidelines on Landscaping And Tree Plantation (IRC SP 21-2009)** के अनुसार किया जाये। कार्यपालन यंत्री निम्नांकित मार्गदर्शी सिद्धांतो को ध्यान में रखते हुये तत्संबंध में अनुमति प्रदान करेंगे :–

1) मार्ग के किनारों पर वृक्षारोपण हेतु सुनियोजित योजना तैयार कर तदनुसार यह कार्य संपन्न कराया जाये। योजना बनाते समय भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण की आवश्यकता का ध्यान रखा जाये ताकि पेड़ों को काटने की स्थिति निर्मित न हो।

2) वृक्षो के कारण वाहनों के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न नही होना चाहिये। वृक्षारोपण योजना में मार्ग को उपयोग में लाने वाले वाहनों के सुरक्षित आवागमन हेतु साईट डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जाये।

3) वृक्षों को मार्ग के दोनो ओर एक से अधिक पक्तियों में जमीन की उपलब्धता को देखते हुये लगाया जाये। वृक्षा के पहली पंक्ति रोडवे से (साइड ड्रेन को सम्मिलित करते हुये) कम से कम एक मीटर दूरी पर लगाई जाये। पहली पंक्ति में छोटे/मझले उंचाई के ओरनामेंटल वृक्ष तथा द्वितीय पंक्ति में छायादार वृक्षों को लगाया जाये। प्रथम पंक्ति से द्वितीय पंक्ति के मध्य लगभग 6.00 मीटर का अंतराल

रखा जाये। इसी तरह आर.ओ.डब्ल्यू. जमीन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये तृतीय पंक्ति में वृक्षारोपण किये जाने पर विचार किया जाये। सामान्यतः किये जाने वाले वृक्षारोपण के विवरण को दर्शाते हुये नक्शा संलग्न हैं।

4) छोटी झाडियां तथा पौधे रोड़ साइड ड्रेन से पर्याप्त दूरी पर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि पानी के बहाव को कोई बाधा उत्पन्न न हो।

5) छोटे पौधों को क्षति से बचाने के लिए उसके आस–पास ट्री–गार्ड लगाये जायें। ट्री--गार्ड लोहे की जाली, ईट, सीमेंट आदि से निर्मित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बांस से भी ट्री–गार्ड बनाया जा सकता है।

6) वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग, लोक निर्माण विभाग या अन्य संस्था के द्वारा किया जाता है । अतः इनमें समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक है । लोक निर्माण विभाग द्वारा वृक्षारोपण के कार्य हेतु लगाये जाने वाले वृक्षों की प्रजाति, दो वृक्षों के बीच की दूरी, वृक्षों का रख–रखाव, पौधे की उचाई इत्यादि के संबंध में आवश्यकतानुसार वन विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाये।

7) सड़कों के किनारे लगाये गये वृक्षों की टहनीयों से वाहनों के यातायात में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है । अतः यह आवश्यक है कि समय–समय पर आवश्यकतानुसार वृक्षो की टहनियों/डालियों को काटा जाये। समय–समय पर कीट लगी हुई, रोग ग्रस्त, सुखी तथा कमजोर टहनियों को भी आवश्यकतानुसार काटा जाये।

8) अस्पतालों, स्कूलों, आवासीय परिसरों इत्यादि स्थानों पर सड़क पर वृक्षारोपण अत्यंत सावधानी से यह सुनिश्चित करते हुये किया जाये कि इसके कारण रोड़ यूजर्स को कोई कठिनाई/अवरोध उत्पन्न न हो तथा कोई दुर्घटना घटित न हो।

संलग्न :– एक नक्शा।

23/4/15

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, लो0नि0वि0
भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/2155/15/19/यो
भोपाल,दिनांक 23/04/2015

प्रतिलिपि –

1. निज सहायक माननीय मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग ।
2. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
3. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
4. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
5. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
6. प्रभारी आई.टी. शाखा, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल की ओर । परिपत्र मेल से समस्त संबंधित को प्रेषित किये जाने एवं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित ।

23/4/15

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, लो0नि0वि0
भोपाल (म.प्र.)